

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (विविध)-22/2022 - 733
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 8.9.2022

विषय:- राशन कार्ड बनाने एवं राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया से संबंधित सुझाव।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्या द्वारा बोकारो एवं धनबाद जिला भ्रमण के दौरान नया राशन कार्ड बनाने एवं राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया के संबंध में विशेष परिस्थिति वाले व्यक्तियों को BSO एवं DSO Portal में सीधे Approve करने की सुविधा जोड़े जाने से संबंधित सुझाव आयोग को प्राप्त हुआ है।

उक्त सुझाव की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

02/09/20

राशन कार्ड बनाने एवं कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया

- लाभुक द्वारा online apply करने के बाद BSO के Login में जाता है।
- BSO द्वारा approved करने के बाद DSO के Login में जाता है।
- DSO द्वारा approved होने के बाद "Card has been put on queue for final approval" show करता है।
- इसके बाद Department approve करता है। Department द्वारा approval मिलने के बाद कार्ड में सदस्य का नाम जुड़ जाता है।

सुझाव:-

BSO एवं DSO पोर्टल में 20-20 Complain का Slot आता है। विशेष परिस्थिति वाले यथा-असाध्य रोगी, Accidental case वाले Applicant को BSO एवं DSO द्वारा पोर्टल में सीधे approved करने की सुविधा हो।